प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **194 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)

Satyajeet Meena Add: Village Banjariya, Tehsil-Kherwara, Udaipur

.............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार खेरवाड़ा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 14-01-2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329767303449651 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2025 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 1320151645 दिनांक 01.12.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 194 / 25 / 1219–20 दिनांक 01.12.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा जरिये पत्रांक रीडर / सू.अ.अ. / 2005 / 2025 / 999 दिनांक 05.12.2025 से न्यायालय को प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन क्रमांक 329119616411397 के जरिये चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। अतः उक्त सूचना इस कार्यालय से दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत खांडी ओबरी, उपलाफला के संबंध में वर्ष 2010 से 2025 तक सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार उक्त सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय से संबंधित नहीं है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय में प्रेषित प्रत्युत्तर के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति / प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित जवाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14-01-26 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर